

महत्वपूर्ण/फैक्स

संख्या- 674 /1-10-2016-33(24)/2016 T.C.I

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा एवं हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16 जून, 2016

विषय: बुन्देलखण्ड में सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिये जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-1 (ड0) में आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के लिये मानक एवं दरों का निर्धारण किया गया है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-255/1-10-2016-33(24)/2016, दिनांक 04.03.2016 द्वारा सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के जीवन निर्वाह के लिये निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने का निर्णय लिया गया था:-

- (1) अन्त्योदय लाभार्थियों में से भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी है उन परिवारों को 10 किग्रा आटा, 25 किग्रा आलू, 05 किग्रा चने की दाल, 05 ली० सरसो का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी तथा बच्चों के लिये प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर वितरित कराया जाय।
- (2) प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जाय जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सुरक्षित रहे।
- (3) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति द्वारा राहत सामग्री क्रय करके सूखा प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय करने में वित्तीय नियमों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) राहत सामग्री के क्रय किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) प्रथमतः इस व्यवस्था को 30 दिन के लिए लागू किया जाय।
- (6) वितरित की गयी राहत सामग्री तथा प्रभावित परिवार (जिन्हें राहत सामग्री प्रदान की गयी है) का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा।

(7) राहत सामग्री का गांव स्तर पर वितरण जिलाधिकारी के निर्देशन में उनके द्वारा नामित जिला स्तरीय राजस्व/विकास एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारीगणों द्वारा सूखा से प्रभावित परिवारों को यह राहत सामग्री का वितरण कराया जायेगा।

(8) सूखा प्रभावित परिवारों में से खाद्यान्न वितरण हेतु पात्र परिवारों के चयन में भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों, भारत सरकार द्वारा निर्गत सूखा मैनुअल-2009 में उल्लिखित मापदण्डों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

2- अग्रेत्तर शासनादेश संख्या-504/1-10-2016-33(24)/2016, दिनांक 04.05.2016 पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अन्त्योदय लाभार्थियों में से सूखा प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा पूर्व में वितरित की जा रही राहत सामग्री के अतिरिक्त 10 किग्रा चावल, 01 किग्रा चीनी, 01 किग्रा आयोडीन युक्त नमक, 200 ग्राम हल्दी दिये जाने के अतिरिक्त 30 दिन की अवधि को और बढ़ाते हुये (पूर्व की अवधि 30 दिन + 30 दिन) 60 दिन तक राहत सामग्री दिये जाने के निर्देश दिये गये थे।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अन्त्योदय लाभार्थियों में से सूखा प्रभावित परिवारों को पूर्व में वितरित राहत सामग्री 10 किग्रा आटा, 10 किग्रा चावल, 25 किग्रा आलू, 05 किग्रा चने की दाल, 05 ली० सरसो का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी, 01 किग्रा चीनी, 01 किग्रा आयोडीन युक्त नमक, बच्चों के लिये प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर तथा 200 ग्राम हल्दी दिये जाने की अवधि 30 दिन और बढ़ाते हुये (पूर्व की अवधि 60 दिन + 30 दिन) 90 दिन तक राहत सामग्री दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- इसके अतिरिक्त राहत के रूप में वितरित की जाने वाली कर योग्य वस्तुओं पर देय वैट से कर मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके सम्बन्ध में औपचारिक आदेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-430/ग्यारह-9(78)/16-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(154)-2016, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा पूर्व में ही किये जा चुके हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 03 मार्च, 2016 से प्रभावी है।

5- अतः अनुरोध है कि शासन द्वारा खाद्य वितरण के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव ।

संख्या:- 614 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।

2- प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं व्यापार कर विभाग, 30प्र0 शासन।

- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

सचिव एवं राहत आयुक्त ।